

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./एसीपी/20/2024/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/ रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफीसर जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/ एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला	लाभ देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
01.	गोपाल लाल गोयल (नर्सिंग ऑफीसर)	करौली	11.08.2009	11.08.2018 (9 वर्षीय)	एल-11	एल-12

- यदि उक्त कार्मिक के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:-16-04-2024

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./एसीपी/20/2024/ 78

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।/ई-डाक।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
6562147



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2024.04.16 12:57:39 IST  
Reason: Approved